

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0

[भारत सरकार का उद्यम]

जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - 110001

शाखा कार्यालय --11, आर एन मुखर्जी रोड, नीलहट हाउस, कोलकाता - 700001

सूचना सं0 - एसटीसी/कोल/ए सी/ई ओ आई/2013-14/01

राज्य एवं सरकारी एजेन्सियो/क्रय संगठनों में बिक्री वितरण हेतु ड्राई राशन जैसे चाय, आटा, खाद्य तेल (रिफाइंड सरसों का तेल/सूर्यमुखी तेल/बादाम तेल इत्यादि), चीनी, चावल व विभिन्न प्रकार के दाल इत्यादि (सभी ब्रान्डेड व स्टैंडर्ड पैकों में)एस टी सी को सप्लाई करने के लिए मिल मालिक/ सप्लायरों की नियुक्ति हेतु एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (ई ओ आई) आमन्त्रण नोटिस

हमारे बारे में

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (एस टी सी) कम्पनी एक्ट 1956 में शामिल किया गया इसका पंजीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 और शाखा कार्यालय, नीलहट हाउस 9 वी व 10 वी मंजिल, 11 आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 भारत सरकार का उद्यम, वाणिज्य मन्त्रालय के अधीन, वाणिज्य विभाग में हैं। एस टी सी भारत का एक प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है जिसका 50 वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू व्यापार के सम्बन्ध में अनुभव है।

एस टी सी के पास भारत के अधिकांश प्रमुख पोर्ट शहरो को लेकर राष्ट्रव्यापी कार्यालय है जिसके अन्तर्गत ग्राहको को शीघ्र व गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए चारों ओर दक्ष व अनुभवी जनशक्ति का प्रतिस्थापन किया गया है। वर्ष 2011-2012 के दौरान एस टी सी का लगभग -18,699 करोड़ की व्यापार की मात्रा रही।

अपने उपभोग/घरेलू बाजार के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारी विभागो में चाय, नमक, आटा, खाद्य तेल, (रिफाइंड सरसों का तेल/सूर्यमुखी तेल/बादाम तेल इत्यादि) चीनी, चावल व विभिन्न प्रकार के दालों की मानक पैक जूट पी पी बैगों (500 ग्राम/1 किलो/5 किलो/10 किलो/20 किलो/50 किलो/100 किलो) की सप्लाई के लिए एस टी सी एतद्वारा निम्न विवरण के अनुसार प्रत्याशित मिल मालिक/सप्लायरों से एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट (सांझा अभिव्यक्ति/ई ओ आई) आमन्त्रित करता है।

1. मर्चों का विवरण जिसके लिए ई ओ आई आमन्त्रित किया जाता है - चाय, नमक, आटा, खाद्य तेल, (रिफाइंड सरसों का तेल/सूर्यमुखी तेल/बादाम तेल इत्यादि) चीनी, चावल व विभिन्न प्रकार के दालों (पूरा/दाल/चूर्ण) इत्यादि की सप्लाई ।

2. कार्य का प्रकार

(i) मिल मालिक/प्रदायक (सप्लायर) उक्त केन्द्रीय/राज्य सरकार विभाग / क्रय संगठन की सभी शर्तों व दशाओं को स्वीकार करेंगे और आदेश की स्थिति में बैंक टु बैंक आधार पर अपेक्षित नामित दूरी के छोर तक ग्राहको को उत्पाद व पण्य वितरण करेंगे। सम्बन्धित राज्य सरकार / क्रय संगठन में आगे बिक्री के लिए क्रय प्राधिकारी के द्वारा चाहे गए विनिर्दिष्टताओं के अनुसार सामान पैक किए जाएंगे। यदि क्रय संगठन एसटीसी के नाम/पक्ष में ब्रान्डेड मर्चों के ट्रेडिंग/डिस्ट्रीब्यूशन शिप लाइसेंस चाहता है तो उक्त मिलर/सप्लायर द्वारा जारी/व्यवस्था की जानी चाहिए । मिल मालिक/प्रदायक ब्याज रहित ई एम डी/बिड बॉन्ड/कुल उद्धृत किया गया दर मूल्य के 1% वृद्धि पर अथवा क्रय संगठन की शर्त के अनुसार और कैश मार्जिन/निष्पादन बैंक गारंटी (पी बी जी) निष्पादन बॉन्ड कुल

आदेश मूल्य के 1% वृद्धि पर अथवा क्रय संगठन की शर्त के अनुसार जैसा एस टी सी को अपेक्षित है, प्रस्तुत करेंगे।

- (ii) एसटीसी प्रदायक (सप्लायर) द्वारा एसटीसी को दिया गया दर के आधार पर एसटीसी का ट्रेडिंग मार्जिन जोड़ने के बाद ग्राहको/क्रय संगठनों का दर कोट करेंगे। ट्रेडिंग मार्जिन की राशि एसटीसी की अपनी सूझबूझ पर निर्धारित किया जाएगा और इस पर प्रदायक (सप्लायर) द्वारा प्रतिस्पर्धा नहीं किया जाएगा। एसटीसी द्वारा प्राप्त आधारभूत शर्त का आदेश ग्राहक से आवश्यक परिवर्तन सहित बैंक टू बैंक कन्ट्राक्ट में प्रयुक्त एसटीसी व मिल मालिक/प्रदायक (सप्लायर) के बीच अन्तिम रूप में दिया जाना है। प्रदायक (सप्लायर) को भुगतान केवल सामग्री की आपूर्ति पर और सम्बन्धित राज्य सरकार/ केन्द्र व राज्य सरकारी उपक्रमों/क्रय संगठन से एसटीसी द्वारा भुगतान की प्राप्ति पर किया जाना है।
- (iii) प्रत्याशित मिल मालिक/प्रदायक (सप्लायर) द्वारा यह स्पष्ट रूप से विचार व सहमत किया गया है कि एस टी सी अपने ग्राहकों के वास्ते उनके विनिर्दिष्ट मॉग पर क्रय करेंगे। तदनुसार यदि ग्राहकों द्वारा विनिर्दिष्टताओं में कोई व्यतिक्रम हो, माल चुराए जाने पर (पिल्फरेज) अथवा माल उतारने की दिशा बिन्दु पर माल कम उठाए जाने के कारण एस टी सी को जो राशि ग्राहक से प्राप्त हुई हो, उससे कटौति की गई हो तो इस प्रकार की कटौति के बाद ग्राहक से प्राप्त राशि के अनुरूप सप्लायर को राशि का भुगतान की जानी है। कमी की स्थिति में आवश्यक डेबिट/क्रेडिट नोट सप्लायर व एसटीसी के द्वारा जारी किया जाना है।

3. प्रत्याशित उत्पादक/मिल मालिक/सप्लायर की नियुक्ति के लिए पूर्व योग्यता

- (i) मिल मालिक/सप्लायरों को उक्त मर्दों जैसे चाय, नमक, आटा, खाद्य तेल, (रिफाइन्ड सरसों का तेल/सूर्यमुखी तेल/बादाम तेल इत्यादि)चीनी, चावल व विभिन्न प्रकार के दालें (पूरा/दाल), जैसे चना, मटर (यलोपीस) मूंग, तूर, मसूर, राजमा, लोबिया, काबुली चना, उड़द, तीली की खली चूर्ण (सभी ब्रान्डेड) इत्यादि की मिलिंग व सप्लाय की न्यूनतम तीन साल का अनुभव होना चाहिए और इसके लिए कागजात के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।
- (ii) मिल मालिक/सप्लायर के पास वैध पैन नं0,टिन नं0,सी एस टी नं0,वैध ट्रेड लाईसेंस होना चाहिए।
- (iii) मिल मालिक/सप्लायर को आयकर रिटर्नड् फाइल्ड व लेखा परीक्षाकृत पी एण्ड एल एकाउन्ट व चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित पिछले तीन साल के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित कम्पनी का बैलेन्स शीट (तुलन - पत्र) जमा करना होगा।
- (iv) मिल मालिक/सप्लायरों को बैंक से अद्यतन सम्पन्नता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। यदि कोई पार्टी एक से अधिक मर्दों में भाग लेना चाहता है तो उन मर्दों के तहत उच्च मूल्य के लिए सम्पन्नता सीमा ग्राह्य होगा।

- (v) मिल मालिक/सप्लायर स्पष्ट रूप से प्रतिवर्ष के आधार पर प्लान्ट उत्पादन क्षमता प्रस्तुत करेंगे जिसके लिए ई ओ आई प्रस्तुत किया जा रहा है । मिल मालिक/सप्लायर पिछले दो वर्ष के दौरान वचन दिए गए उत्पादन पर सही आधार पर उक्त प्लान्ट पर सूचना भी प्रस्तुत करेंगे ।
- (vi) अबाध व बाधा रहित दैनिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मिल मालिक व सप्लायर के पास मर्च के स्टॉक के अनुक्षण के लिए वेअरहाउस सुविधाएं होनी चाहिए ।
- (vii) जैसा कि मर्च जैसे चाय, नमक, आटा, खाद्य तेल, चीनी, चावल व विभिन्न प्रकार की दालें जो आम जनता के उपभोग के लिए प्राप्त किया जाएगा, सामग्री ग्राहक/क्रय संगठन द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए अथवा ग्राह्य सरकारी एजेन्सियों जैसे एफ पी ओ/एफ एस एस ए आई, एग मार्क, एच ए सी सी पी इत्यादि द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और गुणवत्ता कठोर रूप से प्रिवेन्शन ऑफ फूड ऑडल्टरेशन रूल्स 1955 जो समय-समय पर संशोधित हुआ है, के अनुपालन में होना है ।
- (viii) सप्लायर से यदि आवश्यक समझा जाए तो दस्तावेज की जाँच के लिए अतिरिक्त सूचना/पुष्टिकरण की माँग की जा सकती है।
- (ix) उक्त शर्त एवं दशा पर सप्लायर द्वारा पूर्णरूप से विचार किया जाएगा और अपूर्ण दस्तावेज व उक्त शर्त के अनुपालन न होने वाला ई ओ आई सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (x) नियुक्त सप्लायर उक्त किसी अथवा सभी कार्यों के सम्बन्ध में सभी सरकारी विनियमों/औपचारिकताओं/योजनाओं/मुख्य बातों/आदेशों इत्यादि के अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे।
- (xi) नियुक्त सप्लायर कम्पनी के मालिक/संस्थापक द्वारा जारी स्व प्रमाण-पत्र/घोषणा यह प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत करेंगे कि वे आज तक व्यवसाय करने के लिए सरकारी एजेन्सियों/राज्य एजेन्सियों/एसटीसी के द्वारा प्रतिबन्धित/काली सूची बद्ध नहीं है। सप्लायर को ई ओ आई के अधीन पूर्व योग्यता के लिए आवेदन के साथ ही साथ परवर्ती टेण्डर में भाग लेते समय इस सम्बन्ध में एक एक वचन देना होगा । गलत वचन (पाए जाने की स्थिति में) प्रस्तुत किए जाने पर इस प्रकार का सप्लायर उसी समय अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- (xii) पार्टी के द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण उक्त कसौटी के अनुसार परीक्षण किया जाएगा उक्त शर्त एवं दशा पर पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा और उक्त शर्तों के अनुपालन में कागजात के बिना प्राप्त आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (xiii) इस ई ओ आई के अन्तर्गत सप्लायर समय समय पर भारत सरकार के सांविधिक आवश्यकताओं को मानने के लिए वचन देगा।

- (xiv) एसटीसी के पास किसी भी समय कोई कारण बताए किसी/सभी आवेदनों को स्वीकृत व अस्वीकृत करने तथा ई ओ आई प्रक्रिया रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट प्रस्तुत करना

- (i) प्रत्याशित मिल मालिक /सप्लायर हमारे वेबसाइट www.stc.gov.in अथवा www.tender.gov.in से एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट डाउनलोड कर सकते है और उक्त की प्रति श्री आर के शर्मा, मुख्य प्रबन्धक दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि० नीलहट हाउस 9 वीं मंजिल, 11 आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 से कार्यालय समय अथवा एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट खोलने के एक दिन पहले तक किसी भी कार्यदिवस के दौरान भी प्राप्त कर सकते है, और डाउनलोड किया हुआ मूल फार्म कागजात के साथ सभी शर्त व दशा मानने के प्रतीक के रूप में प्रत्येक पेज हस्ताक्षर व मुहर सहित प्रस्तुत करेंगे, फैक्स/ई मेल से अथवा एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट की प्रति के रूप प्राप्त एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (ii) एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट में एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट करने वाले व्यक्ति का नाम पदनाम व व्यवसाय का स्थान फोन व फैक्स नं० के साथ अवश्य होना चाहिए और प्रत्याशित सप्लायर का अपना रोजमर्रा के हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित व मुहरांकित होना चाहिए।
- (iii) सभापति, सचिव अथवा कोई व्यक्ति अथवा इस मामले में कॉर्पोरेशन/कम्पनी को जोड़ने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कॉर्पोरेशन/कम्पनी के द्वारा कॉर्पोरेशन/कम्पनी के वैधानिक नाम से अवश्य एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट हस्ताक्षर करें।
- (iv) सप्लायर सम्बन्धित कागजात जैसे कम्पनी विवरणिका, पिछले तीन वर्ष का बैलेन्स शीट (तुलन - पत्र) इन्स्टॉल्ड क्षमता व संक्षेप निर्माण-प्रक्रिया (जहाँ ग्राह्य हो) आई एस ओ अथवा अन्य सत्यापित प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो) विभिन्न कर प्राधिकारियों अथवा सरकारी विभागों के पंजीयन प्रमाण-पत्र इत्यादि प्रस्तुत करें।
- (v) प्रत्येक पेज में क्रमबद्ध रूप से नम्बर देना होगा और हस्ताक्षर करना होगा।
- (vi) प्रत्येक मद के लिए जैसा ई ओ आई में निर्धारित किया गया हो, कागजात के अलग सेट अलग कवर में प्रस्तुत किए जाने है।

5. एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट जमा करने की अन्तिम तिथि 15/11/2013 दोपहर बाद 3.00 बजे है।

6. एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट प्रस्तुत करने का स्थान

एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट शाखा प्रबन्धक दि एस टी सी ऑफ इण्डिया लि०, नीलहट हाउस 9 वीं व 10 वीं मंजिल, 11 आर. एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001 में संलग्न अनुलग्नक -1 व अपेक्षित संलग्नकों के साथ भरा हुआ नियत तिथि व समय के पूर्व एस टी सी कोलकाता के स्वागत कक्ष में रखे हुए बॉक्स में डालना होगा। इस कावर में ई ओ आई नं० व दिनांक, मद विवरण व ई ओ आई खोलने का दिनांक अंकित होना चाहिए।

महत्वपूर्ण सूचना - प्रत्येक मद के लिए कागजात का अलग सेट जैसा ई ओ आई निर्धारित है, अलग कौवर में प्रस्तुत करना है।

7. सामान्य शर्त एवं दशा

- (i) एस टी सी के पास किसी भी कारण बताए, जो भी हो, एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट के किसी भी ऑफर को स्वीकृत व अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

- (ii) प्राप्त ई ओ आई से उक्त प्रत्येक मद के लिए मिल मालिक/सप्लायरों की अन्तिम नियुक्ति एसटीसी के सूझबूझ पर किया जाएगा और एसटीसी का निर्णय सभी प्रतिभागी पार्टियों पर बाध्य कर होगा।
- (iii) सप्लायर स्पष्ट रूप से ध्यान दें कि इस ई ओ आई में परिगणक शर्त व दशाएं केवल व्याख्यात्मक है सर्वसमावेशी नहीं है। नियुक्त किए गए मिल मालिक/सप्लायरों को एस टी सी का पूरा स्वार्थ और प्रत्याशित ग्राहकों के स्वार्थ पूरी रक्षा के लिए एस टी सी द्वारा चाहे गए कन्ट्राक्ट्स में आना होगा।
- (iv) प्रत्याशित मिल मालिक/सप्लायरों को से आवश्यक समझे जाने पर प्रस्तुत किए गए कागजात की जाँच के लिए अतिरिक्त सूचना /पुष्टिकरण की मांग भी की जा सकती है।
- (v) इस कागजात के सभी विवरण, शर्त व दशा का प्रत्याशित मिल मालिक/सप्लायरों को द्वारा पूर्णरूप से विचार किया जाना पड़ेगा और अपूर्ण कागजात युक्त व उक्त शर्त व दशा का अनुपालन न होने वाला एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

8. एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट की विलम्ब प्राप्ति

कोई भी ई ओ आई नियत तिथि व समय से विलम्ब से प्राप्त होना अप्राप्त माना जाएगा।

- 9. ई ओ आई कागजात एवं उसमें दी गई सूचना (सभी एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट कागजात) की मालिकियत (ओनरशीप) जमा होने पर एस टी सी की सम्पत्ति हो जाएगी, जहाँ प्रत्याशित सप्लायर यह विश्वास करता है कि इस ई ओ आई में दी गई सूचना 'गोपनीय' है अथवा रखा जाना चाहिए अथवा इस सूचना को बताना अकारण ही सप्लायर के व्यवसायिक कार्य को प्रभावित करेगा, सूचना अथवा कागजात वितरण के समय यह स्पष्ट रूप से निशान बनाकर कि ऐसी सूचना 'गोपनीय' है ऐसा सूचित किया जाना है। जहाँ तक ऐसा होता चला आया है कि एस टी सी इस सम्बन्ध में प्रत्याशित सप्लायर को अपनी इच्छा जाहिर करेगा और ऐसी सूचना की पहुँच का अनुरोध आर. टी. आई एक्ट के अधीन निर्णय किया जाएगा।

10. कोई संविदात्मक बाध्यता नहीं

एस टी सी इस एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के लिए किसी प्रत्याशित सप्लायर के प्रति संविदात्मक अथवा किसी अन्य प्रकार से बाध्य नहीं है। एसटीसी इस एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट अथवा किसी एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के विचार करने के सम्बन्ध में प्रत्याशित सप्लायर द्वारा प्राप्त किया गया अथवा नहीं किसी भी क्षतिपूर्ति का लागत देने के लिए बाध्य नहीं है। एसटीसी एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट प्रक्रिया समाप्त, बदल अथवा निलम्बन करता है अथवा इस एकप्रेशन ऑफ इन्टरेस्ट के अधीन अनुमोदित भविष्य विकास में प्रस्तावित संकल्पना के विचार सहित कोई अन्य कार्यवाही करता है।

11. सहयोगी मिल मालिक/सप्लायरों की शार्ट लिस्टिंग

प्रत्याशित सप्लायर जो एसटीसी के सहयोगी मिलमालिक/सप्लायरों की योग्यता प्राप्त करता है, मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से अधिसूचित होंगे, प्राप्त एसोशिएटशिप की वैधता प्रारम्भिक रूप से एसटीसी द्वारा स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जो एसटीसी की सूझबूझ पर पार्टी के निष्पादन के आधार पर नवीनीकरण किया जा सकता है।

12. अदावेदार

इस कागजात का इश्यू ई ओ आई प्रक्रिया के सभी अथवा किसी भाग पर कार्यवाही करने के लिए किसी प्रकार से वचनबद्ध अथवा अन्यथा रूप से बाध्य नहीं करता है। ई ओ आई अनुरोध एसटीसी व प्रत्याशित सप्लायर के मध्य कोई

कन्ट्राक्ट प्रक्रिया अथवा संविदात्मक बाध्यता का विषय नहीं है। एसटीसी अपनी पूर्ण सूझबूझ से प्रत्याशित सप्लायर को बिना पूर्व सूचना दिए प्रक्रिया के किसी अथवा पूरे भाग को छोड़ने के लिए चुन सकता है।

प्रत्याशित सहयोगी प्रदायकर्ता द्वारा [भरे जाने के लिए] प्रोफॉर्मा विस्तृत विवरण :-

अनुलग्नक - 1

1. मर्दों के नाम जिसके लिए इम्पैनेन्मेंट का अनुरोध किया जाता है	कृपया निम्न चाहे जाने वाले मर्दों में [] का निशान लगाएं i) चाय ii) नमक iii) आटा iv) खाद्य तेल, v) चीनी, vi) चावल, vii) विभिन्न प्रकार के दालें			
2. वार्षिक मिलिंग व सप्लाइंग क्षमता				
3. प्रदाय किया गया परिमाण [दस्तावेज साक्ष्य संलग्न किया जाना है]	भारत में [घरेलू]		भारत के बाहर [निर्यात]	
	प्रदाय किया गया परिमाण [मै. ट में]	मूल्य [रु करोड़ में]	प्रदाय किया गया परिमाण [मै. ट में]	मूल्य [रु करोड़ में]
वर्ष 2010-2011				
वर्ष 2011-2012				
वर्ष 2012-2013				
4.[a] प्रदायकर्ता का नाम एवं पता				
स्थापना वर्ष				
[b] कृपया स्पष्ट करें कि आप-उत्पादक, मिलमालिक अथवा प्रदायक है :				
[c] सम्पर्क व्यक्ति [व्यक्तियों] कें नाम				
[d] टेलिफोन नं० [नम्बरें]				
[e] फैक्स नं० [नम्बरें]				
[f] ई मेल आई .डी [नम्बरें]				
5 प्रमाणित कागजात संलग्न करें जैसे :-	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(i) प्रदायकर्ता के प्रमाणित कागजात जैसे कम्पनी विवरणिका, पिछले तीन साल का लेखा परीक्षा किया हुआ तुलन - पत्र, आई एस ओ अथवा अन्य स्थापित प्रमाण - पत्र (यदि कोई हो) पार्टनर शिप डीड के साथ निगमित प्रमाण; पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र अथवा एसोसिएशन के नियम के ज्ञापन की प्रति, पिछले तीन साल के लिए आयकर रिटर्न विभिन्नकर प्राधिकारियों अथवा सरकारी विभागों, मनुफैक्चरिंग लाइसेंस, इत्यादी के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र				
(ii) बैंक संदर्भ प्रमाण - पत्र	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(iii) क्रेडिटरेटिंग एजेन्सी रिपोर्ट (यदि कोई हो)	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(iv) (बी) उक्त क्र. सं के पक्ष में क्रयादेश/ निष्पादन प्रमाण - पत्र की प्रतियाँ	संलग्नित		नहीं संलग्नित	
(v) ई ओ आई में निर्दिष्ट सभी शर्त व दशाओ की स्वीकृति	स्वीकृत		अस्वीकृत	
(6) क्या कम्पनी चाय, नमक, आटा, खाद्य तेल, चीनी, चावल, दालों की सप्लाय के लिए किसी टेण्डर में भाग लेने के लिए किसी सरकारी उपक्रमों के द्वारा काली सूची में शामिल/ प्रतिबंधित है।	हाँ		नहीं	
(7) क्या आवेदन की तिथि पर काली सूची में शामिल / प्रतिबंधित है।	हाँ		नहीं	
(8) ग्राहक का विवरण जिन्हे परिमाण व मूल्य दोनों शर्त में पिछले तीन वर्षों में प्रदाय पूरा किया गया है।				
(9) अन्य दूसरे कागजात जैसे ई ओ आई में माँगा गया है				

*कृपया अतिरिक्त कागज प्रयोग करें यदि अधिक स्थान की आवश्यकता हो,
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सूचना सही है और हम पुष्टि करते हैं कि एक्जेशन ऑफ इन्टरेस्ट में दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं
और किसी समय बिन्दु पर सूचना गलत पायी गई तो हमारी ई ओ आई एस टी सी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

दिनांक :

हस्ताक्षर

स्थान :

नाम एवं पदनाम

कम्पनी मुहर

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
JAWAHAR VYAPAR BHAVAN, TOLSTOY MARG, NEW DELHI – 110001
BRANCH OFFICE: “Nilhat House” 9th & 10th Floor, 11, R. N. Mukherjee Road, KOLKATA
NOTICE No.STC/KOL/AC/EOI/2013-14/01, INVITING

Expression of Interest (EOI) for selection of
Miller/Supplier of Dry Branded Ration viz. Tea, Salt, Atta, Edible Oil (Refined mustered
oil/sunflower oil/groundnut oil etc.), Sugar, Rice and
Varieties of Pulses etc. (All branded and in Standard Packs)
for supply to STC for sale/deliveries to various
State & Govt. agencies / Purchase Organisations.

ABOUT US

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LIMITED (STC), incorporated under the Companies Act, 1956 having its registered office at Jawahar Vyapar Bhawan, Tolstoy Marg, New Delhi – 110 001 and branch office at “Nilhat House” 9th & 10th Floor, 11, R. N. Mukherjee Road, Kolkata, is a Government of India Enterprise under the administrative control of Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce. STC is a premier international trading organization of India with experience of handling international and domestic business for over five decades and has been handling domestic import and export of various kinds of products and commodities.

STC has a strong nation-wide presence with offices covering most of the major port towns in India with deployment of highly skilled and experienced manpower across the country to provide quick and quality services to its clientele. During the year 2012-13 STC has achieved a turnover of approx. Rs.18,699 Crores.

For supply of Tea, Salt, Atta, Edible Oil (Refined mustered oil/sunflower oil/groundnut oil etc.), Sugar, Rice and varieties of Pulses in Standard pack/Jute/PP bags (500gms/1 Kg/5Kgs/10 Kgs/20kgs/50kgs/100kgs) to Government of India and State Government Departments for own consumption/ Domestic market, STC hereby invites Expression of Interest (EOI) from prospective Millers/Suppliers as per following:

1. Details of items for which EOI is invited:

- i. Supply of Tea, Salt, Atta, Edible Oil (Refined mustard oil/sunflower oil/groundnut oil etc.), Sugar, Rice and Varieties of Pulses (whole / Dal / Crushed)

2. Scope of work:

- i. The Miller / Supplier shall accept all the terms and conditions of said Central / State Government Department/Purchase Organisation and in case of order shall, on a back to back basis, deliver the said products and commodities to the Customers in the manner required at the nominated end destination. The goods shall be packed as per the desired specifications of the purchasing authority for onward sale to respective State Government Department/ Purchase organisation. In case the purchasing organization wants trading/distribution ship license of branded items in the name/ favour of STC, the same should be issued /arranged by the miller/supplier. The Miller/Supplier shall furnish Interest free EMD/Bid bond (to the extent of 1% of the total quoted rate value or as per the terms of the purchase Organisation) and Cash Margin/Performance Bank Guarantees (PBG)/Performance bond (to the extent of 10% of the total order value or as per the terms of the purchase Organisation), as required, to STC.

- ii. STC would quote the rates to Customers/Purchase Organisation on the basis of rates offered by the Supplier to STC after adding Trading Margin of STC. The amount of trading margin would be decided by STC at their sole discretion and the same shall not be contested by the supplier. The basic terms of order received by STC from Customer shall mutatis mutandis apply in the back-to-back contract to be finalized between STC and the Miller / Supplier. The payment to supplier shall be only released against supply of goods and receipt of payment by STC from the respective State Govt. Department/ Purchase Organisation.
- iii. It is to be expressly understood and agreed by the prospective Miller/Supplier that STC shall be making the purchases on behalf of its end Customers based on their specific indents. Accordingly in case any deductions are made from the bills of STC by its Customers on account of deviations in the specifications, pilferage or due to short-landing at unload destination point amount will be released to supplier to the extent of amount received from customers after such deduction. In case of shortage necessary debit/credit note to be issued by supplier and STC.

3. Pre-qualification criteria for selection of prospective Producer/Miller Supplier(s):

- i. Miller / Supplier should have a minimum experience of 3 (Three) years of milling / supplying of the said item(s) i.e. Tea, Salt, Atta, Edible Oil (Refined mustered oil/sunflower oil/groundnut oil etc.), Sugar, Rice and varieties of Pulses (whole / Dal), viz, chana, matar(yellow pease), moong, toor, Masoor, Rajmah, Lobia, Kabli Chana, Urad, Linseed crushed, etc.(all branded), and is required to produce documentary evidence for same.
- ii. Miller /Supplier should have a valid PAN No., TIN No., CST No. and valid Trade Licence.
- iii. Miller /Suppliers shall have to submit the copies of Income Tax Return filed and audited P&L A/C & Balance Sheet of the company for the last three years signed by authorized Person.
- iv. Miller / Suppliers are required to submit latest solvency certificate from the bank.
- v. The Miller / Supplier shall clearly mention the plant(s) production capacity on per month & per annum basis for the item, for which the EOI is being submitted. The Miller / supplier shall also furnish information on the production undertaken on, actual basis in the stated plants, during the last two years.
- vi. The Miller /Supplier should have warehouse facilities for maintaining the stock of item in order to ensure smooth & uninterrupted regular supplies.
- vii. As the items i.e. Tea, Salt, Atta, Edible Oil, Sugar, Rice and varieties of pulses shall be procured for Human consumption, the goods should either be approved by the customer/purchasing organization or certified by the applicable Government Agencies viz., FPO,FSSAI, AGMARK, HACCP, etc., and quality to be strictly in compliance of Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as amended from time to time.
- viii. The Suppliers can also be asked to furnish additional information /confirmation in connection with verification of the documents submitted by the supplier, if deemed necessary.
- ix. The above terms and conditions shall have to be considered by the supplier in totality and the EOI containing incomplete documents & not complying with the above conditions shall be summarily rejected.
- x. The selected supplier(s) shall ensure compliance of all the Government regulations/ conventions / policies /guidelines /orders etc. in force related to any or all of the above activities.
- xi. Supplier(s) shall also submit a self certificate/undertaking issued by the owner/proprietor of the company certifying that they have not been debarred /blacklisted for doing business by Govt. agencies/State agencies/STC as on date. The supplier shall have to submit an UNDERTAKING to this effect at the time of application for prequalification under this EOI as well as while participating

in the subsequent Tender. In case of submission of false declaration (found at any stage), such supplier shall be disqualified forthwith.

- xii. Details submitted by parties shall be examined in line with above mentioned criteria. The above terms and conditions shall be considered in totality and applications received without documents complying with the above conditions shall be summarily rejected.
- xiii. Supplier shall undertake to abide by the statutory requirements of the Indian Government from time to time covering this EOI.
- xiv. STC reserves the right to accept or reject any/all applications and cancel the EOI process at any time, without assigning any reasons thereof.

4. Submission of Expression of interest:

- i. Prospective Miller/Supplier may download Expression of Interest document from our website www.stc.gov.in or www.tenders.gov.in and can also obtain a copy of same from Shri R. K. Sharma, Chief Manager, The STC of India Ltd., "Nilhat House", 9th Floor, 11, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700 001 during office hours on any working day till one day prior to the opening of Expression of Interest and shall submit Expression of Interest documents in original down loaded form, duly signed and stamped at each page as token of acceptance of all terms and conditions. Expression of Interest received over Fax/Email or copy of the Expression of Interest shall be summarily rejected.
- ii. The Expression of interest must contain the name, designation and place of Business of the person with Phone and Fax Nos. of persons making the expression of interest and must be signed and sealed by the Prospective Supplier with his usual signature.
- iii. The President, Secretary or any other person or persons authorized to bind the corporation/company in the matter must sign expression of interests by corporations/companies with the legal name of the Corporations/ Companies.
- iv. The supplier should submit their supporting documents such as Company Brochure, Balance sheets of last three years, details of installed capacity & brief manufacturing process (wherever applicable), ISO or other accreditation certificates (if any), Registration certificates with various tax authorities or Government Departments, etc.
- v. Each page has to be numbered consecutively and signed.
- vi. For each item separate set of documents, as prescribed in the EOI are to be submitted in separate cover.

5. Last Date for submission of Expression of Interest:

The last date for submission of the Expression of Interest is **15.11.2013 at 1500 Hrs.**

6. Place for submission of Expression of Interest:

The Expression of Interest should be addressed to Branch Manager, The STC of India Ltd., "Nilhat House", 9th Floor, 11, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700 001 along with duly filled in enclosed Annexure-I & requisite enclosures should be put in the Box placed on the reception of STC, Kolkata before the due date and time. The cover should also be super-scribed with the EOI No. and Date, Item Description and the date of EOI Opening.

Important Note: FOR EACH ITEM SEPARATE SET OF DOCUMENTS AS PRESCRIBED IN THE EOI ARE TO BE SUBMITTED IN SEPARATE COVER.

7. General Terms & Conditions:

- i. STC reserves the right to accept or reject any offer of Expression of Interest without assigning any reasons what so ever.
- ii. Final selection of Miller /Supplier, for each/all of the stated items, from the EOIs received will be done at the discretion of STC and the decision of STC shall be final and binding on all the participating parties.
- iii. The Supplier may clearly note that terms and conditions enumerated in this EOI are only illustrative and not exhaustive. The chosen Miller /Supplier will have to enter into contracts as devised by STC to fully protect STC's overall interests and also the interests of the prospective customers.
- iv. The prospective Miller /Supplier can also be asked to furnish additional information/confirmation in connection with verification of the documents submitted by the supplier, if deemed necessary.
- v. All details and terms and conditions of this document shall have to be considered by the prospective Miller /Supplier in totality and the expression of interest containing incomplete documents & not complying with the above conditions are liable to be rejected.

8. Late receipt of Expression of Interest:

Any EOI received after the due date and time would be treated as not received.

9. Ownership of EOI Documents and information therein (all Expression of Interest documents) will become the property of STC upon submission. Where the prospective Supplier believes that information provided in response to this EOI is, or should be kept confidential; or disclosure of this information would unreasonably affect Supplier's business affairs, notice is to be given at the time of delivery of the information or documents by clearly marking such information 'confidential'. In so far as is practicable STC will give effect to the prospective Supplier stated wishes, and requests for access to such information will be determined under the RTI Act.

10. No Contractual Obligation:

STC is not bound contractually or in any other way to any prospective Supplier to this Expression of Interest. STC is not liable for any costs of compensation in relation to the consideration of this Expression of Interest or any Expression of Interest, incurred by the prospective Supplier to this Expression of Interest whether or not STC terminates, varies, or suspends the Expression of Interest process or takes any other action permitted under this Expression of Interest, including consideration of concepts proposed in future developments.

11. Short listing of associate Millers/suppliers:

Prospective Supplier who qualifies as Associate Millers/suppliers to STC would be individually notified after the evaluation process is complete. The validity of Associate-ship agreement (on the basis of EOI's received) shall be initially for a period one year from the date of acceptance by STC, which may be renewed on the basis of performance of the party, at the sole discretion of STC.

12. Disclaimer:

The issue of this document does not in any way commit or otherwise obliges STC to proceed with all or any part of an EOI process. The EOI Request is not the subject of any process contract or any contractual obligations between STC and prospective Supplier. STC may, at its absolute discretion, elect to abandon any part or whole of the process without giving prior notice to the prospective suppliers.

FORMAT (TO BE FILLED UP) BY PROSPECTIVE ASSOCIATE SUPPLIERS

PARTICULAR DETAILS

1. NAME OF ITEMS for which empanelment is requested	Please mark (√) on the items of interest from the followings : (i) Tea (ii) Salt (iii) Atta (iv) Edible Oil (v) Sugar (vi) Rice (vii) Varieties of Pulses			
2. Annual Milling / Supplying Capacity				
3. Quantity supplied (Documentary Proofs to be attached)	IN INDIA (Domestic)		OUTSIDE INDIA (Exports)	
	Quantity supplied in MT	Value (Rs.in Crores)	Quantity supplied in MT	Value (Rs.in Crores)
In the year 2010-11				
In the year 2011-12				
In the year 2012-13				
4. (a) Name and address of Supplier Year of Establishment				
(b) Please specify whether you are: Producer, Miller or Supplier				
(c) Name of contact person(s)				
(d) Telephone No(s).				
(e) Fax No(s)				
(f) E-mail id(s)				
5. Attach supporting documents such as: (i) Supporting documents of supplier such as Company Brochure, Audited Balance sheets of last three years, ISO or other	Attached		Not attached	

accreditation certificates (if any), Registration certificates with various tax authorities or Government Departments, etc.		
(ii) Bank Reference Certificate	Attached	Not attached
(iii) Credit rating agency report(if any)	Attached	Not attached
(iv) Copies of Purchase orders/Performance Certificates in support Sr. No 1. (b) above	Attached	Not attached
v) Acceptance of All terms and conditions specified in EOI	Accepted	Not accepted
6. Has the company been black listed / banned by any Government Undertaking from participating in any tenders for supply of Barley/ Pulses.l	Yes	No
7. Whether blacklisted /banned on the date of application	Yes	No
8. Details of clients to whom supplies during the last three years both in terms of volume and value have been completed.		
9. Any other document, as asked for in the EOI		

##Please use extra sheet, if more space is required.

Certified that the above information is true and we confirm that all information given in the
Expression of Interest are correct and if at any point of time the information is found to be
incorrect our EOI will be liable for rejection by STC.

Dated:

Signatures:

Name & Designation

Place

Company Seal